391

(1)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांकः 2 SEP 20

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांकः प 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांकः 13.10.2011 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं "कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि मार्केटिंग प्रोत्साहन नीति 2015" के अन्तर्गत नीति के बिन्दु संख्या 19 मे यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण एंव कृषि व्यवसाय में शैक्षणिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि तक संस्थागत आरक्षित दर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 एकड़ भूमि डी.एल.सी. दर पर आवंटित करने की स्वीकृति दी जावेगी। जिसके आधार पर प्राधिकरण/न्यास द्वारा नियमानुसार आवंटन किया जायेगा जिन मामलों में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु सम्बन्धित विनिमयों में न्यूनतम भूमि निर्धारित है उनको तद्नुसार भूमि आवंटित की जावेगी।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को विभिन्न उपयोगों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं को भी भूमि आवंटन करने हेतु भूमि आवंटन नीति, 2015 जारी की गयी है। इस नीति के बिन्दु संख्या 2.1 (IV) व (v) मे उल्लेखित क्षेत्रफल तक भूमि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रयोजन हेतु उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित दर पर आवंटन की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विभाग की उक्त नीति के बिन्दु संख्या 5.19 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु समय-समय पर जारी की गयी/की जाने वाली नीति के आवंटन संबंधी प्रावधान लागू होंगें।

अतः इस विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्र समसंख्यक दिनाक 13.10.2011 के अधिक्रमित में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि मार्केटिंग प्रोत्साहन नीति, 2015 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर निजी क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय में शैक्षणिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सम्बन्धित निकाय के क्षेत्राधिकार में भूमि की उपलब्धता के आधार पर संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(220)